

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1483/2010/नागौर

सहायक आयुक्त,
नागौर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हनुमान दाल मिल
डेगाना, नागौर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री कृष्ण गोपाल खत्री
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.09.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 53/09-10/वैट/नागौर में पारित किये गये आदेश 02.03.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मूल रूप से दालों के साथ कर मुक्त चूरी का निर्माता है, जिसके निर्माण में साबुत दालों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-नागौर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) ने जांच पर पाया कि अलोच्य अवधि वर्ष 2006-07 में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 4 प्रतिशत की दर से वैट चुकाकर कच्चे माल साबुत दाल की खरीद की तथा इस प्रकार से की गई खरीद पर रु. 16,898/- की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दाल एवं चूरी का निर्माण किया जाता है जिसमें चूरी कर मुक्त है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चूरी के निर्माण में प्रयुक्त दाल पर आलोच्य अवधि में रु. 16,898/- की इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया। कर निर्धारण अधिकारी ने द्वारा इस प्रकार से क्लेम की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि रु. 56,573/- में से रु. 16,898/- की इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया क्योंकि चूरी के निर्माण में दाल का उपयोग किया गया है तथा चूरी कर मुक्त वस्तु है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किये जाने के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 02.03.2010 को आदेश पारित कर रिवर्स टैक्स रु. 16,898/- एवं पर आरोपित ब्याज रु. 3,449/- को अपास्त कर अपील स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दाल की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल चूरी की बिक्री के अनुपात में आगत कर लाभ को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449 से आच्छादित मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है एवं अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी साबुत दालों से 77 प्रतिशत कर योग्य दालों का निर्माण करता है तथा दालों के निर्माण में शेष कर मुक्त सह उत्पाद हस्क और चूरी का निर्माण भी होता है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 18(1)(ई) का विश्लेषण करते हुए कच्चे माल के रूप में साबुत दालों का प्रयोग करते हुए जिस अनुपात में कर मुक्त माल का निर्माण हुआ है उस अनुपात में आई टी सी रु. 16,898/- रिवर्स करके अस्वीकार किया है तथा कम जमा कर पर ब्याज भी आरोपित किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स की गई आई टी सी स्वीकार की है तथा उस पर आरोपित ब्याज को भी अपास्त किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।



हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वेट चुकाकर खरीद किये गये दाल का उपयोग दाल एवं चूरी विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें दाल कर योग्य उत्पाद हैं एवं चूरी पशु आहार होने से कर मुक्त है; जिनका राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कच्चे माल के रूप में वेट चुकाकर खरीदे गये उक्त दाल के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त दाल के मूल्य के अनुपात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं बिक्रीत कर मुक्त उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त दाल के मूल्य के अनुपात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए निर्मित कर मुक्त चूरी की बिक्री के अनुपात में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि रिवर्स की जाकर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित करने का आदेश दिनांक 03.03. 2009 पारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील में पारित किये गये अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.03.2010 द्वारा व्यवहारी के प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449 से आच्छादित मानते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स, ब्याज आरोपण के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही प्रकरण से पारित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the



present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.


21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी को कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण की सीमा तक कर बोर्ड का विवादित आदेश दिनांक 13.3.2009 अपास्त किया गया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा उद्धरित किये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220 एवं माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 123 एस.टी.सी. 449 के प्रकरणों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न होने से उक्त प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित रिवर्स टैक्स को यथावत पुनः बहाल (restore) किया जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2010 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य